भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 45**

22.07.2024 को उत्तर के लिए

**पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन की अधिसूचना**

45. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का इरादा डॉ. कस्तूरीरंगन पैनल के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुसार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की पहचान और सीमांकन करने वाली अंतिम अधिसूचना जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केरल और कर्नाटक राज्यों के संबंध में ईएसए की अंतिम स्थिति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ईएसए को अंतिम रूप देने और इसके संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र के लोगों की आजीविका से संबंधित चिंताओं के संबंध में सरकार को औपचारिक रूप से सूचित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का केरल सहित विभिन्न राज्यों जहां काफी संख्या में लोग प्रस्तावित बफर जोनों के आस-पास रहते हैं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने के लिए उक्त सिफारिशों में संशोधित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): पश्चिमी घाटों की समृद्ध जैव-विविधता की सुरक्षा के लिए मंत्रालय ने डा. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह (एचएलडब्ल्यूजी) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 06.07.2022 को का.आ. 3072 (अ) द्वारा पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में प्रारूप अधिसूचना जारी की है, जिसमें छह राज्यों नामत: गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में फैला 56,825 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है।

राज्यों ने उपर्युक्त प्रारूप अधिसूचना में शामिल किए गए पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) में संशोधन के लिए निरंतर अनुरोध किया है। राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने हेतु, मंत्रालय ने आपदा संभावित प्राकृतिक पारितंत्र के संरक्षण के पहलुओं और उस क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आवश्यकताओं और विकास संबंधी आंकाक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, छह राज्य सरकारों के सुझावों की समग्र रूप से पुन: जांच करने हेतु एक समिति गठित की है। केरल और कर्नाटक सहित राज्य सरकारों के मामलों पर समिति द्वारा विचार किया जाता है और उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाता है।

****